

उत्तराखण्ड पर्यटन नीति में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने **राज्य की पर्यटन नीति- 2018** में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें वभिन्न उद्योगों को **राज्य वसतु एवं सेवा कर (SGST)** मुआवज़ा मलने की अवध नरिदषिट की गई ।

मुख्य बदि:

- संशोधन के अनुसार, उत्तराखण्ड में **A, B और B+** श्रेणी के उद्योगों को पाँच वर्ष के लिये 100% SGST मुआवज़ा मलगा, जसके बाद उन्हें **अगले पाँच वर्षों के लिये क्रमशः 90, 75 तथा 75%** की दर से यह मलगा ।
 - **लार्ज, मेगा और अलट्रा-मेगा परयोजनाओं** को 10 वर्षों के लिये क्रमशः 30 तथा 50% का SGST मुआवज़ा मलगा ।
- **उत्तराखण्ड पर्यटन नीति- 2018** का उद्देश्य इस कषेत्र में नवशकों के लिये **एकल-खडिकी नकिसी परणाली** स्थापति करना था ।
 - हालौंका राज्य में वभिन्न उद्योगों को SGST मुआवज़ा प्रदान करने की अवध नरिदषिट नहीं की गई थी ।
- राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी नरिणय लया:
 - **वशेषज्ज डॉक्टरों की सेवा अवध** को 65 वर्ष की आयु तक बढाया जाए ।
 - शहरी परविहन व्यवस्था के वकिस, संचालन और नरिवहन के लिये राज्य वधिनसभा में **एकीकृत महानगर परविहन प्राधकिरण वधियक, 2024** पेश कया जाए
 - सहकारी समतिकाे नयिमों में संशोधन कर इसकी **प्रबंधन समतियाँ में 33% पद महिलाओं के लिये आरकषति** कया जाए ।
 - **महासू देवता मंदिर** के आस-पास रहने वाले परिवारों को पुनरस्थापति करें ।

महासू देवता मंदरि

- यह उत्तराखण्ड के **देहरादून ज़िले के हनोल में त्यूनी-मोरी मार्ग** पर स्थति है और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था ।
- यह मंदरि **महासू देवता** को समरपति है । इसका नरिमाण **काठ-कुनी या कोट-बिनाल वासतुकला शैली** में कया गया था ।
- यह **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण** की उत्तराखण्ड के देहरादून सर्कल के प्राचीन मंदरिकाे की सूची में शामिल है ।